

**COORDINATION OF HINDI AND INDIAN LANGUAGES IN THE
FRAMEWORK OF THE INDIAN CONSTITUTION.**

Dr Geetu*

**Assistant Professor Department of Hindi, Guru Jambheshwar Science & Tecnology University, Hisar*

***Corresponding Author: profgeetu2@gmail.com**

Abstract-

In the framework of the Indian Constitution, the coordination of Hindi and other Indian languages is being reinforced by strong technological foundations. Institutions such as E-Governance, Digitalization, Unicode, and C-DAC are providing multilingual software, thereby promoting linguistic integration.

Today, apart from Hindi, other Indian languages like Bengali, Tamil, Marathi, Kannada, and Telugu are witnessing vibrant publication of journals and magazines. Alongside the Hindi and Urdu Academies, organizations such as the Tamil Sangam, Kannada Sahitya Parishad, and Marathi Sahitya Parishad represent encouraging signs for the bright future of Hindi and other Indian languages.

Many such positive developments are emerging in this direction. Institutions like the Central Hindi Directorate and the National Translation Mission are working to strengthen the bond between Hindi and other Indian languages. Indeed, all Indian languages together seem to fortify the unity of India's multilingual cultural identity.

Keywords: *Indian Constitution, Union, Hindi Language, Indian Languages, Infrastructure, Coordination of Indian Languages.*

लेख प्रस्तुति- डॉ गीतू (प्रभारी सहायक प्रो., गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार)

शोध का उद्देश्य - प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय भाषाओं और हिंदी भाषा के समन्वय को दर्शाना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय भाषाओं का क्या योगदान है और संविधान की अवसंरचना में हिंदी और भारतीय भाषाओं की भूमिका को विस्तार से स्पष्ट करना इसका उद्देश्य है। आज के युग में हिंदी भाषा की स्थिति को भी सामने लाना प्रस्तुत शोध लेख का उद्देश्य है। शोध-प्रविधि- प्रस्तुत शोध लेख में द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर सामग्री एकत्रित की गई है। लेख की भाषा सुपाठ्य एवं ग्राह्य है। शोध-परिकल्पना- यह शोध आलेख मौजूदा समय में हिंदी और भारतीय भाषाओं की स्थिति को समझने में मददगार होगा। हिंदी के प्रचार-प्रसार में अन्य सहयोगी भाषाओं का समन्वय आज हिंदी के क्षेत्र को किस प्रकार वृहद कर रहा है, इसकी जानकारी इस लेख में उपलब्ध है। एनईपी (नई शिक्षा नीति) की दृष्टि से यह आलेख शोधार्थियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रहेगा।

संकेत शब्द: भारतीय संविधान, संघ, हिंदी भाषा, भारतीय भाषा, अवसंरचना, भारतीय भाषा समन्वय।

परिचय- उपनिवेश से मुक्ति और राष्ट्रभाषा की निर्मिति का समय एक है। आज़ादी के बाद भाषायी आंदोलनों के तीव्र होते अंतर्विरोधों के बीच यद्यपि भाषाओं को एक साथ समन्वित करना एक दुरूह और दुष्कर कार्य रहा। देश के बदलते तमाम उतार-चढ़ावों के बीच भाषाएँ भी अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरती हैं। भाषाएँ भी अनेक संघर्षों का सामना करती हैं क्योंकि भाषाओं में जीवन बसता है। भाषाओं को भावनाओं के स्पर्श से जिंदा महसूस किया जा सकता है। तमाम उहापोहों में अक्सर भाषाएँ किस तरह बोलियों में और बोलियाँ भाषाओं में वे व्यवहृत हो जाती हैं इसका अनुभव बाद कालांतर में होता है। उस दौर की बात करें तो संविधान सभा में राजभाषा को लेकर हुई भाषायी बहस में तर्क-वितर्क सहित संविधान निर्माताओं ने अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रों में प्रचलित बोलियों और भाषाओं को राष्ट्रीय स्वरूप देने की तमाम कोशिशें कीं। भारत बहुभाषा-भाषी देश रहा है और आज भी है। हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत की क्षेत्रीय भाषाएँ और भारतीय भाषाएँ पीछे छूटती नज़र आईं। यह भाषाई अस्मिता की दृष्टि से एक खतरे का सूचक था। भारत में आज़ादी के बाद भाषायी विमर्श ने ज़ोर पकड़ा। बहुभाषी समाज में भाषायी समस्या अपनी अस्मिता के रेखांकन का परिणाम होता है। भाषायी अस्मिता के बल पर लोकांतरिक आकांक्षाएँ पनपती हैं। आधुनिकता, शहरीकरण और मीडिया इसके लिए जमीन तैयार करते हैं। यह सत्य है कि भाषाओं को जीवन से विलग करके बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। बहुभाषी-भाषा क्षेत्रों के लोग अपनी भाषायी अस्मिता को लेकर काफी सजग रहे और अपनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने की आकांक्षा उनके मन में नए सुनहले स्वप्नों के रूप में जगती रहीं। अपनी भाषाओं को सदा जीवित देखने और उनसे प्रेम करने के जुनून ने अक्सर भाषाओं के प्रति एक अजब सा भय भी उत्पन्न किया। स्थानीय भाषाओं पर अन्य भाषा आरोपित न हो जाए ऐसी आकांक्षा और भय भाषाओं के आत्मसंघर्ष का कारण बना। हिंदी को जब राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास देश में शुरू हुआ तो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को लेकर कुछ बगावती स्वर भी सुनाई देने लगे। आज जब हिंदी भाषा को व्यापक स्वरूप में सुन, देख और पढ़ पा रहे तो यहाँ यह भी जानना आवश्यक होता है कि हिंदी भाषा पूर्व में बोली (खड़ी बोली) के रूप में थी और ब्रज 'भाषा' के रूप में प्रतिष्ठित थी। फिर कैसे हिंदी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई, यह प्रश्न अति गंभीरता समेटे हुए था। हिंदी, जनपदीय भाषाओं बोलियों और भारतीय भाषाओं का आत्मसंघर्ष उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भाषाओं की बदलती परिस्थितियों और बहस मुबाहिसों का नतीजा यह हुआ कि हिंदी साहित्य की भाषा बन गई और ब्रज भाषा को बोली का खिताब मिला। धीरे-धीरे हिंदी की व्याप्ति बढ़कर राष्ट्रीय फलक तक पहुँच गई। हिंदी नई परिस्थितियों का सामना

करने के लिए खुद को उस माहौल के मुताबिक अनुकूलित करती रही और भारतीय भाषाओं का समन्वय उसके स्वरूप को और व्यापक करता गया।

भाषाएं व्यक्ति के भीतर की जीवित अभिव्यक्तियां हैं इसीलिए भाषाओं का सवाल एक संकट की तरह था संविधान सभा में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण वाद विवाद 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ जिसके विविध आयाम थे। स्वाधीन भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को निर्णय लिया कि संघ के राजकाज की आधिकारिक भाषा यानि राजभाषा हिंदी होगी और यह भी तय किया गया कि 15 वर्षों तक देश में हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी चलती रहेगी इसके पीछे यह तुम अवधारणा थी की 15 वर्ष की पर्याप्त अवधि में शासन प्रशासन का समस्त कामकाज राजभाषा हिंदी में होने लगेगा। पर यहाँ भी कटु कारक इस कार्य के बाधक रहे। परिणामतः सन 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया ताकि संघ के राजकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अमल में लाया जा सके। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में आदेशपूर्वक निर्दिष्ट किया गया कि सर्वसाधारण को लक्ष्य कर तैयार किए जाने वाले सभी दस्तावेज नामतः आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, सूचना अधिसूचना, विज्ञापन, निविदाएं, संविदाएं, अनुज्ञप्तियां, करार संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने वाले प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन आदि अंग्रेजी के साथ साथ अनिवार्यतः हिंदी में भी जारी किए जाएं अर्थात ये सभी सरकारी दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं और इसका दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए। भारतीय संघ की राजभाषा नीति बेहद संवेदनशील एवं सर्वसमावेशी है। यहाँ किसी भी भाषा को कमतर या बेहतर नहीं बताया गया। संविधान के 17वें भाग में अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट किया भी गया है कि “संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तथ्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में उपर्युक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।” कोई भी देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसंरचना के बिना कहाँ ज़िंदा रहते हैं भला। देश और भाषाओं के विकास में अवसंरचना की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अवसंरचना ही किसी देश और भाषाओं की रीढ़ होती है। यही विकास का महत्वपूर्ण घटक भी है। यही वो श्रेष्ठ व्यवस्था है, जो विकास की प्रक्रिया को गतिमान करती है। भाषाओं के संबंध में हिंदी भाषा के प्रसार और संवर्द्धन में अवसंरचना की आवश्यकता हुई। नए दौर में हिंदी भाषा को तकनीक, शिक्षा और प्रशासन के लिए प्रयोग के योग्य बनाने के जो नवीन प्रयोग हुए उसके फलस्वरूप हिंदी भाषा की सफलता के प्रतिमान ही बदल गए। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग ने भाषा को न केवल रोजगार, प्रशासन और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा, बल्कि आज शासन- प्रशासन में हिंदी भाषा के प्रयोग को निरंतर बल मिलना इसकी एक बड़ी उपलब्धि है। संघ की प्रशासनिक अवसंरचना में हिंदी और अन्य भाषाओं का सहअस्तित्व सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्यों को अपनी मातृभाषा के प्रयोग की स्वतंत्रता है। आज हिंदी भाषा एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए सभी भारतीय भाषाओं को अपने साथ रखते हुए उनका मार्ग प्रशस्त कर रही है। नई शिक्षा नीति (एनईपी, 2020) मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा में प्रारम्भिक शिक्षा पर बल देती है। यही नहीं, भारतीय संघ की अवसंरचना में हिंदी और भारतीय भाषाओं का समन्वय तकनीकी जड़ें मजबूत करता हुआ ई गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, यूनीकोड, सीडेक जैसी संस्थाएं बहुभाषी सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा रही हैं। आज हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाएँ बंगाली, तमिल, मराठी, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, हिंदी, उर्दू साहित्य अकादमी के साथ- साथ तमिल संगम, कन्नड़, मराठी साहित्य परिषद जैसे संस्थान आज हिंदी और भारतीय भाषा के उज्वल भविष्य के सुखद संकेत हैं।

ऐसे कई और सुखद संकेत ही इस दिशा में परिदर्शित हो रहे हैं। केंद्र हिंदी निदेशालय, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जैसी संस्थाएं भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच सुदृढ़ता स्थापित कर रही है।

यही नहीं भारतीय भाषाएँ मिलकर भारतीय बहुभाषिक संस्कृति की एकता को मजबूत करती प्रतीत होती हैं। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा 22 अनुसूचित भाषाएँ (अनुच्छेद 345-351) के अनुसार हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य स्तर पर अधिकार मिले हैं।

निष्कर्ष-

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय संघ की अवसंरचना में हिंदी राष्ट्रीय पहचान हासिल कर रही है तो वहीं अन्य भारतीय भाषाएँ भारत की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान की बड़ी ही मजबूती से आधारशिलाएं रख रही हैं।

यह सही है कि भाषा के स्तर पर राष्ट्रीय एकता में हिन्दी केन्द्रीय भूमिका में रही है। हिन्दी को स्थापित और उसके विकास में जनपदीय बोलियों और भाषाओं ने अपनी महती भूमिका निभाई है। ऐसे में यह नहीं कह सकते कि बिहारी, मगही, मैथली, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी, बघेली या अन्य क्षेत्रीय बोलियों का कोई वजूद नहीं। आज भी गाँवों का जन, गण, मन इन्हीं बोलियों और भारतीय भाषाओं में रचता-बसता है। फिर भी हिन्दी भाषा को स्थापित करने में बहुत सी बोलियों को अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी है। निश्चित रूप से हिंदी ने भारतीय भाषाओं के साथ सामंजस्य और समन्वय स्थापित करते हुए भारत देश की भाषायी समृद्धि में अतुल्य योगदान दिया है।

संदर्भ

- 1 नामवर सिंह, हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग
- 2 उदय नारायण तिवारी,

हिंदी भाषा का उद्गम और विकास

- 3 गोपाल राय , हिंदी भाषा का विकास
- 4 डॉ.अवधेश्वर अरुण, हिंदी भाषा का स्वरूप-विकास
- 5 प्रो सत्यनारायण त्रिपाठी, हिंदी भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास
- 6 डॉ नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास

References:

1. Namvar Singh, The Contribution of Apabhramsha to the Development of Hindi
2. Uday Narayan Tiwari, Origin and Development of the Hindi Language
3. Gopal Rai, Development of the Hindi Language
4. Dr. Avadheshwar Arun, Form and Development of the Hindi Language
5. Prof. Satyanarayan Tripathi, Historical Development of the Hindi Language and Script
6. Dr. Nagendra, History of Hindi Literature